न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, MC प्र० रेवेन्यु बोर्ड, ग्वालियर

प्र. क्र. /12 पुनरीक्षण याचिका

R-764-I/12

शंभूसिंह परिहार पिता मंगलसिंह जी राजपूत
धंधा वकालत, निवासी सरदार मोहल्ला,
नीमचसिटी, जिला नीमच (म.प्र.) ---प्रार्थी/रिस्पा.

विरूद्ध

1. शंकुतला पत्नि हेमसिंह जी राजपूत
निवासी दर्जियों का मोहल्ला जैसलमेर, राज.

2. राजेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह जी राजपूत
स्टाम्प वेण्डर, जिला न्यायालय जैसलमेर, राज.

3. खुमानसिंह पिता मंगलसिंह जी राजपूत
निवासी- सरदारमोहल्ला नीमचसिटी,
तह०एवं जिला नीमच, म.प्र. ---विपक्षीगण/अपीलांट क्रं. 1व
तथा क्रं. 3 रिस्पा. 2

श्री के.एल. सोनी
अभि. द्वारा प्रस्तुत
दि. 13.3.12
रजिस्टर्ड किया
13.3.12
R.S.2

21.3.12

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. संहिता

पुनरीक्षण याचिका विरूद्ध आदेश दिनांक 03.02.12
प्र. क्र. 29/अपील/ 2008-09 अपील " शंकुतलाबाई
विरूद्ध शंभूसिंह आदि " न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी महोदय, नीमच

मान्यवर महोदय,

सेवामें प्रार्थी की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

(अ) यह कि, प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट क्र. 1 व2 ने प्रार्थी /रिस्पाडेंट, क्र. 1 व2 के विरूद्ध धारा 44 म.प्र. भू रा. संहिता के अंतर्गत एक अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नीमच के समक्ष, प्रस्तुत की, जिसमें तहसील न्यायालय के नामांतरण आदेश दिनांक 28.11.97 को चुनौती दी है। अपीलांट ने यह अपील दिनांक 20.07.09 को, प्रस्तुत की है व साथ मे धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत कियाहै। जिस पर से अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/ रिस्पाडेंट क्र. 1 को

निरन्तर.... 2

निरन्तर.... 3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-764-एक/12 **जिला** - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	